# उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

## // आदेश //

क्रमांक B/2584 / जबलपुर, दिनांक 20/07/2020

1. श्री यू.एस. दुबे, रजिस्ट्रार–कम–पी.पी.एस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को अधिवार्षिकीय आयु दिनांक 31.07.2020 पूर्ण होने पर सेवानिवृत्ति उपरांत उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर के निर्वतमान सैट (स्थापना) में रिक्त रजिस्ट्रार के पद के विरूद्ध दिनांक 01.08.2020 से आगामी 1 वर्ष की अवधि के लिये संविदा नियुक्ति मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्र. सी–3–12/2011/3/एक भोपाल, दिनांक 03.09.2011 के कंडिका 8 में निहित निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. संविदा सेवा में नियुक्ति के लिए अवधि एक वर्ष होगी।
2. संविदा सेवा में प्रतिमाह एकजाई वेतन देय होगा।
3. एकजाई वेतन निर्धारित करने के लिए सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त कुल वेतन में से पेंशन की राशि घटाकर जो राशि आयेगी वह राशि संविदा वेतन के रूप में देय होगी। इस संविदा वेतन पर किसी प्रकार का मंहगाई भत्ता या अन्य भत्ते देय नही होंगे।
4. पेंशन प्रथक से प्राप्त करने की पात्रता होंगी तथा पेंशन पर देय राहत की पात्रता होगी।
5. संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
6. संविदा नियुक्ति के दौरान शासकीय आवास गृह के आवंटन/अधिपत्य की पात्रता नहीं होंगी, उन्हें केवल पात्रतानुसार गृह भाड़ा भत्ता देय होगा। संविदा नियुक्ति के समय यदि उसके नाम से शासकीय आवास आवंटित होगा या अधिपत्य में होंगा तो उसे शासकीय आवास रिक्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही संविदा नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।
7. अस्थाई शासकीय सेवकों के समान अवकाश की पात्रता होंगी।
8. यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होंगी जो कि सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व थी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 लागू होंगे।
10. संविदा नियुक्ति आदेश जारी करने के दिनांक से 45 दिन तक प्रभावशील होगा। इस अवधि में यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो संविदा नियुक्ति का आदेश स्वतः प्रभावशून्य हो जायेगा।

2. श्री यू.एस. दुबे को संविदा नियुक्ति की अवधि में सेवानिवृत्ति के पूर्व प्राप्त मोबाईल फोन, स्टॉफ कार एवं पूर्व निर्धारित सीमा में पेट्रोल सुविधाओं की पात्रता होगी।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

17.7.2020

(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/2585 /  जबलपुर, दिनांक 20/07/2020

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर, इंदौर म.प्र.
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ, ग्वालियर नवीन उच्च न्यायालय भवन सिटी सेंटर, ग्वालियर म.प्र.
3. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1, 2/डी. ई./आई.एल./एक्जाम एवं लेबर ज्यूडीशियरी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. रजिस्ट्रार (ई)/कम–पी.पी.एस उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर इस अनुरोध के साथ आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाईड पर अपलोड करवाने हेतु,
6. कोषालय अधिकारी, नगर कोषालय, जबलपुर,
7. ओ.एस.डी. (लेखा) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
8. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम.)................................ उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
9. डिप्टी रजिस्ट्रार(एम.) ............ उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
10. असिस्टेंट रजिस्ट्रार(एम.) ...... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
11. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्यायिक) लेखा/बजट/पेंशन/गोपनीय, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
12. लेखा अधिकारी (सैट) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, की ओर इस निर्देश के साथ की श्री यू.एस. दुबे, रजिस्ट्रार–कम–पी.पी.एस., की सेवानिवृत्ति उपरांत संविदा नियुक्ति की अवधि में उनका वेतन रजिस्ट्रार के रिक्त पद के विरूद्ध आहरित करने हेतु,
13. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
14. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार सतर्कता/न्यायिक/(परीक्षा) महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
15. सहायक स्थापना/स्थापना (सैट)/अवकाश(राजपत्रित)/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक/वेतन निर्धारण(राजपत्रित), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
16. उपस्थिति लिपिक उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
17. श्री यू.एस. दुबे, रजिस्ट्रार–कम–पी.पी.एस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार(प्रशासन)